न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – **पी० के० सिंह**, एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**0003318/2016**

अखिलेश कुमार पुत्र श्री बाबूराम, निवासी राजा का रामपुर, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा, उम्र करीब 56 वर्ष।---------- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार ---------- विपक्षी।

थाना-रामगढ़
अपराध सं०-729/2016
धारा-498 ए,304 बी भा०दं०सं० व
धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
जिला-फिरोजाबाद।

आदेश

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, अभियुक्त अखिलेश कुमार की तरफ से मुकदमा अपराध सं0–729/2016, धारा–498 ए, 304 बी भा0 दं0 सं0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामगढ़, जिला फिरोजाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना इस प्रकार है कि वादी कुलदीप शर्मा की बहिन अमन की शादी 3 वर्ष पूर्व हरिओम पुत्र अखिलेश के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। पति और उसके परिवारीजन दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे, वादी की बहिन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करते थे, उसे घर से बाहर निकाल देते थे। पंचायत होने पर उसे ससुराल भेज दिया। वह जंजीर व पचास हजार रूपये अतिरिक्त दहेज में मांगते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर दिनांक 25–10–2016 को फाँसी लगा कर उसके पति हरिओम, ससुर अखिलेश व सास गुड्डी देवी ने उसे मार डाला। इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दिनांक 10–11–2016 को पंजीकृत करायी गयी।

अभियुक्त की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 15 दिन बाद विलम्ब से लिखायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त, मृतका का ससुर है, जो कि घटना स्थल और मृतका व उसके पति से अलग रहते थे। पति–पत्नी के बीच लड़ाई होने की सूचना उन्होंने स्वयं थाने पर दी थी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न कभी दहेज मांगा गया, न ही किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि सह–अभियुक्त पति की जमानत खारिज हो चुकी है। मामला गम्भीर प्रकृति का है।

मैंने, तर्क सुने, पत्रावली का अवलोकन किया। सह–अभियुक्त हरिओम के जमानत आदेश दिनांक 15–12–2016 एवं केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त ससुर द्वारा भी दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आक्षेप स्पष्ट रूप से रखा गया है। मुकदमे के तथ्य, परिस्थिति में अपराध गम्भीर प्रकृति का है, जमानत का आधार नहीं है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त अखिलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक 10-01-2017

(पी०के० सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।